

My question to the hon. Minister is: What about the comprehensive protective legislation for the unorganised sector workers as committed in NCMP? ...*(Interruptions)*... Will the hon. Minister clarify that the present Bill, which is not acceptable and workable in its present form, will be reformulated based on two draft bills, submitted by the NCEUS, for unorganised sector and agricultural sector workers to the Government on 6th August, 2007? ...*(Interruptions)*...

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the social security and welfare of unorganised sector workers and for other matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions ...*(Interruptions)*... Shri Lalit Kishore Chaturvedi ...*(Interruptions)*...

Request to release remaining funds under SGRY to the State of Rajasthan

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): महोदय, राजस्थान को वर्ष 2005 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के लिए 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का मजदूरी भुगतान के लिए आवंटित किया गया था। केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न की सीमित उपलब्धता बताते हुए मजदूरी में 5 किलो खाद्यान्न रोजाना के स्थान पर 3 किलो रोजाना देने के आदेश करते हुए आवंटन में 1,45,158 मीट्रिक टन की कटौती कर दी। इसके फलस्वरूप कम की गई राशि के बदले राज्य सरकार को अधिक नकद राशि का भुगतान आवश्यक हो गया। इस अधिक नकद राशि रु० 17.40 करोड़ का भुगतान वर्ष 2005 से बकाया है।

राज्य सरकार इस राशि के भुगतान के लिए दो वर्ष से बीसियों पत्र लिख चुकी है, फिर भी ग्रामीण विकास मंत्रालय राशि रिलीज नहीं कर रहा है। मेरे राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2381 दिनांक 13 दिसंबर, 2006 के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अपर्याप्त उपलब्धता की स्थिति में नकद भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार मंत्रालय के आदेशों के उपरान्त भी उनका पालन नहीं करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख के जरिए शीघ्र भुगतान की मांग करता हूँ।

Demand to give promotional opportunities to the Correspondents of Doordarshan

श्री अली अनवर (बिहार): उपसभापति महोदय, वर्ष 1988 में 51 दूरदर्शन संवाददाताओं की नियुक्ति सीनियर क्लास वन और क्लास वन वेतनमान में की गई थी। यह जोशी समिति की अनुशंसा पर किया गया, जिसमें कहा गया कि दूरदर्शन सभाचार को विश्व-स्तरीय बनाने के लिए भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सक्षम नहीं हैं और टी.वी. विशेषज्ञों की जरूरत है। कुछ अधिकारियों ने इस नियुक्ति के लिए दिये गये विज्ञापन को अदालत में चुनौती दी, किन्तु वे हार गए। लेकिन, संवाददाताओं को काम करने का माहौल नहीं दिया गया।

पांच-छह वर्षों में ही लगभग आधे संवाददाताओं ने इस्तीफे दे दिए, जो अभी प्राइवेट चैनलों में शीर्ष पदों पर हैं। उनकी नियुक्ति के 19 वर्ष बाद भी एक भी पदोन्नति नहीं हुई।

महोदय, 1990 में भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा बनायी गई, जिसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि ये विभागीय उम्मीदवार और प्रथम श्रेणी में हैं। इस सेवा में शामिल होने की यही दो शर्तें हैं। दूरदर्शन 1985 से अदालतों में विरोधाभासी हलफनामे दे रहा है कि इनकी पदोन्नति के लिए पद बनाये जा रहे हैं या प्रसार भारती नियम बना रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ। जब अन्य किसी काडर या गुप की पदोन्नति इस आधार पर नहीं रोकी गई है, तो सिर्फ संवाददाताओं के साथ यह भेदभाव क्यों? उन पर सी.सी.एस. नियम क्यों नहीं लागू हो रहे हैं, जबकि उनकी सेवा नियमित करने वाले आदेशों में ऐसा ही लिखा था?

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन्हें भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में शामिल कर पूर्व तिथि से पदोन्नति दें।

Concern over horrendous scenario of child labour

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, the latest Report of International Labour Organisation (ILO), released on 12.6.07, to mark the World Anti-Child Labour Day, says that more than 20 per cent of child labourers, aged between 5 and 14 years, in India work in the fields or hunt in forests for a livelihood. Manufacturing and repair are the next two sectors where lakhs of children work despite a ban on child labour, in place since 2006. In percentage terms, more than 22 per cent and 25 per cent of the working children are employed in these two sectors.

The Report, titled (Child Labour Facts and Figures: an analysis of Census 2001), was compiled by ILO after analysing the last census. It divides child and adolescent labour into two categories: 5 to 14 years and 5 to 17 years. In real terms, in the first age group, the total work force in India is 126.67 lakhs; in the second, 283.48 lakhs. The share of workers aged 5 to 14 and 5 to 17 years in the total workforce of the country is 3.15 per cent and 7.05 per cent respectively. Besides the sheer number of child workers in India, the National Sample Survey Organisation says that rural families are being forced to send their children to work due to poverty and hunger.

Above all, the ILO Report exposes the myth of ban on child labour. Hence, I would urge the Government to save the Indian Childhood from the curse of bonded labour.

Concern over poor enrolment of students in some schools of the country

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, बढ़ती आबादी के चलते देश में जहां स्कूलों की कमी है, वहीं करीब 32 हजार स्कूल ऐसे भी हैं, जहां एक भी छात्र नहीं है!

35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 11 लाख 24 हजार 33 स्कूलों को National University of Education Planning and Administration के एक सर्वे में शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार 2.92% स्कूलों में एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। ऐसे 7,945